

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मांग संख्या 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13481.18	...	13481.18	22509.70	...	22509.70	26511.76	...	26511.76	32333.06	...	32333.06
वसूलियां	-2400.00	...	-2400.00	-8500.00	...	-8500.00	-10000.00	...	-10000.00	-12322.27	...	-12322.27
प्राप्तियां
निवल	11081.18	...	11081.18	14009.70	...	14009.70	16511.76	...	16511.76	20010.79	...	20010.79
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	8.23	...	8.23	9.70	...	9.70	11.76	...	11.76	12.52	...	12.52
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम												
2.01 पेयजल गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	20.00	...	20.00	9.50	...	9.50	34.00	...	34.00
2.02 मिशन प्रबंधन	3.89	...	3.89	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90
2.03 संस्थानों इत्यादि को सहायता	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
2.04 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	92.42	...	92.42	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
2.05 मानव संसाधन विकास	8.68	...	8.68	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
2.06 निगरानी एवं मूल्यांकन	6.50	...	6.50	4.00	...	4.00	6.50	...	6.50
2.07 सूचना, शिक्षा एवं संचार	35.00	...	35.00	28.30	...	28.30	5.00	...	5.00
2.08 प्रबंधन सूचना प्रणाली	2.50	...	2.50	9.20	...	9.20	3.00	...	3.00
2.09 अनुसंधान	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.10 राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई परियोजना	0.75	...	0.75	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75
2.11 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - सामान्य कार्यक्रम	3683.61	...	3683.61	3393.99	...	3393.99	5107.49	...	5107.49	5105.50	...	5105.50
2.12 मरुभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम	420.95	...	420.95	475.00	...	475.00	575.00	...	575.00	575.00	...	575.00
2.13 विश्व बैंक सहायता (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक)	160.00	...	160.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	300.00	...	300.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.14 थोक जल की आपूर्ति के लिए योजना	800.01	...	800.01	0.01	...	0.01
2.15 राष्ट्रीय प्रबंधन इकाई परियोजना - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	0.75	...	0.75	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4369.55	...	4369.55	5000.00	...	5000.00	6000.00	...	6000.00	6050.00	...	6050.00
स्वच्छ भारत मिशन												
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)												
3.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण	2400.00	...	2400.00	8500.00	...	8500.00	10000.00	...	10000.00	12322.27	...	12322.27
3.02 निगरानी एवं मूल्यांकन	1.42	...	1.42	10.00	...	10.00	0.10	...	0.10	2.00	...	2.00
3.03 मानव संसाधन विकास	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00
3.04 अनुसंधान	16.00	...	16.00	10.00	...	10.00
3.05 सूचना, शिक्षा एवं संचार	159.79	...	159.79	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	418.00	...	418.00
3.06 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
3.07 कार्यक्रम घटक	6542.19	...	6542.19	8251.00	...	8251.00	10272.00	...	10272.00	11872.27	...	11872.27
3.08 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	500.00	...	500.00	4.90	...	4.90	1626.00	...	1626.00
3.09 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से राशि पूरी की जाएगी	-2400.00	...	-2400.00	-8500.00	...	-8500.00	-10000.00	...	-10000.00	-12322.27	...	-12322.27
निवल	6703.40	...	6703.40	9000.00	...	9000.00	10500.00	...	10500.00	13948.27	...	13948.27
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	11072.95	...	11072.95	14000.00	...	14000.00	16500.00	...	16500.00	19998.27	...	19998.27
कुल जोड़	11081.18	...	11081.18	14009.70	...	14009.70	16511.76	...	16511.76	20010.79	...	20010.79
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. जलापूर्ति और स्वच्छता	2667.35	...	2667.35	8586.50	...	8586.50	10072.90	...	10072.90	12423.27	...	12423.27
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2667.35	...	2667.35	8586.50	...	8586.50	10072.90	...	10072.90	12423.27	...	12423.27
आर्थिक सेवाएं												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	8.23	...	8.23	9.70	...	9.70	11.76	...	11.76	12.52	...	12.52
जोड़-आर्थिक सेवाएं	8.23	...	8.23	9.70	...	9.70	11.76	...	11.76	12.52	...	12.52
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1375.00	...	1375.00	1625.00	...	1625.00	1969.83	...	1969.83
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8403.60	...	8403.60	4037.00	...	4037.00	4801.60	...	4801.60	5603.67	...	5603.67
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
जोड़-अन्य	8405.60	...	8405.60	5413.50	...	5413.50	6427.10	...	6427.10	7575.00	...	7575.00
कुल जोड़	11081.18	...	11081.18	14009.70	...	14009.70	16511.76	...	16511.76	20010.79	...	20010.79

1. सचिवालय: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम : सभी ग्रामीण क्षेत्रों, परिवारों और व्यक्तियों को हैंडपम्पों, नल जलापूर्ति आदि के जरिए सुरक्षित पर्याप्त पेयजलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम तथा भारत निर्माण का एकघटक है। एनआरडीडब्ल्यूपी (पूर्व में त्वरित ग्रामीण पेयजलापूर्ति कार्यक्रम) (एआरएसडब्ल्यूपी) में एआरएसडब्ल्यूपी, स्वजलधारा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता मोनिटरिंग और निगरानी शामिल है। इस केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल प्रावधान के लिए गुणवत्ता प्रभावित बसावटों सहित सभी ग्रामीण बसावटों को कवर करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के लिए स्थायित्वता उपाय करना, मौजूदा ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों का प्रचालन तथा रख-रखाव करना, आई ई सी, प्रशिक्षण, एम आई एस तथा कंप्यूटरीकरण आदि जैसी सहायक गतिविधियां करना तथा जल गुणवत्ता मोनिटरिंग और निगरानी शामिल करना है।

वर्ष 2017-18 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लिए 575.00 करोड़ रुपए सहित एन आर डी डब्ल्यू पी के लिए 6050.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 के लिए अनुसूचित जाति घटक और जनजातीय घटक के व्ययों की पूर्ति के लिए क्रमशः कुल आवंटन का 22% अर्थात् 1331.00 करोड़ रुपए और 10% अर्थात् 605.00 करोड़ रुपए चिन्हित किया गया है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। वर्तमान में 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 671 जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना है। स्कीम का फोकस व्यवहारगत परिवर्तन और शौचालयों के उपयोग पर है।

वर्ष 2017-18 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लिए 1394.83 करोड़ रुपए सहित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 13948.27 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 के लिए अनुसूचित जाति घटक और जनजातीय घटक के व्ययों की पूर्ति के लिए क्रमशः कुल आवंटन का 22% अर्थात् 3068.62 करोड़ रुपए और 10% अर्थात् 1394.83 करोड़ रुपए चिन्हित किया गया है।